

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
4TH LEVEL, 'A' WING, DELHI SECRETARIAT, I.P.ESTATE, NEW DELHI**

APPOINTMENT OF MEMBER (JUDICIAL), IN DELHI VALUE ADDED TAX APPELLATE TRIBUNAL

Applications are invited from eligible candidates to fill one post of Member (Judicial) in the Delhi Value Added Tax Appellate Tribunal in Level 14 (7th CPC).

The details of qualification criteria, application formats etc. are available on the website of Finance Department GNCT of Delhi - **www.finance.delhigovt.nic.in**

The application, in the prescribed format, alongwith requisite documents, may be sent on or before 10-09-2024 to:

Principal Secretary (Finance) ,Govt. of NCT of
Delhi, 'A' Wing, 4th Level, Delhi Secretariat, I.P.
Estate, New Delhi



(Ravinder Kumar)
DEPUTY SECRETARY-I (FINANCE)

Ravinder Kumar
Dy. Secretary (Finance)
Room No. A-413, Govt. of NCT of Delhi
4th Level, A-Wing, Delhi Secretariat,
New Delhi-110002

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग
चौथा तल, 'ए' ब्लाक, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली-110002

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधिकरण में सदस्य (न्यायिक) की नियुक्ति ।

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधिकरण में सदस्य (न्यायिक) के एक पद को भरने के लिए स्तर-14 (सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग) में पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

योग्यता मानदंड, आवेदन प्रारूप आदि का विवरण वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.finance.delhigovt.nic.in पर उपलब्ध है ।

आवेदन पत्र, निर्धारित प्रारूप में, अपेक्षित दस्तावेजों के साथ 10-09-2024 पर या उससे पहले निम्न पते पर भेजें।

प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार दिल्ली, 'ए' विंग,
चौथा स्तर, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।


(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव (व्यय-I)
Ravinder Kumar
Dy. Secretary (Finance)
Room No. A-413, Govt. of NCT of Delhi
4th Level, A-Wing, Delhi Secretariat,
New Delhi-110002

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
4TH LEVEL, 'A' WING, DELHI SECRETARIAT, I.P.ESTATE, NEW DELHI

APPOINTMENT OF MEMBER (JUDICIAL), IN DELHI VALUE ADDED TAX APPELLATE TRIBUNAL

1) APPLICATIONS: are invited from eligible candidates to fill one post of Member (Judicial) in the Delhi Value Added Tax Appellate Tribunal.

2) QUALIFICATIONS:

The candidate shall be a person who has held a Civil Judicial post for at least ten years or who has been Member of the Indian Legal Service (not below Grade-III) for at least three years or who has been in practice as advocate for at least ten years.

A person shall not be eligible for being appointed as a Judicial Member of the Appellate Tribunal if he is less than forty years of age as on the last date for receipt of applications specified in the advertisement.

3) SCALE OF PAY: The post of Judicial member of Appellate Tribunal, Value Added Tax carries the pay structure of PB-4 Rs. 37,400-67000 + 10000 (Grade Pay) (6th CPC), Level 14, Rs.1,44,200-2,18,200 in pay matrix (7th CPC) and annual increment in accordance with the rules applicable to a Joint Secretary to the Government of India belonging to the Indian Administrative Service. Every Member shall receive allowances appropriate to his pay at the rates admissible to a Group 'A' officer of the Central Government drawing pay in the pay structure of PB-4 Rs. 37,400-67000+10000 (Grade pay) (6th CPC), Pay Level 14, Rs.1,44,200-2,18,200 in pay matrix (7th CPC).

4) DISQUALIFICATIONS: No person

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment as member.

Provided that the Lieutenant Governor may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5) OTHER TERMS & SERVICES CONDITIONS: Every person appointed as a Judicial Member of the Tribunal shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office, provided that no such person shall hold office as member of the Tribunal after he has attained the age of sixty five years.

The other service terms & conditions shall be regulated by the notification No. 3(32)/Fin. (T&E)/2008-09/Jsfm/110 Dated 04.03.2009. The notification may be seen at department website address- finance.delhigovt.nic.in .

6) Every person who is a member of Judicial Service or is in Service under the Central Government or State Government or Govt. of Union Territory and who fulfills the requisite qualifications shall be eligible for appointment on deputation basis. Terms and conditions of appointment on deputation basis including pay & allowances, pension, leave and other benefits etc. will be decided by the Government.

7) Person in the services of Government Establishments, Public Sector Undertakings should apply through proper channel alongwith Vigilance Clearance Report and grading of APAR of the last five years.

Application must include the following:-

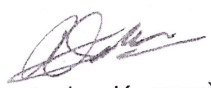
- (a) Name of applicant
- (b) Father's Name
- (c) Age (Date of Birth)
- (d) Permanent Address
- (e) Postal Address
- (f) Educational Qualification
- (g) Telephone No. & E-mail Address
- (h) Training, if any
- (i) Work Experience giving details (1) Department in which worked (2) Post held (3) period (4) Pay Scale (5) Nature of Work.
- (j) Any other relevant information.

Two attested photographs and attested/self attested supporting documents may also be sent with the application.

The application should be sent to:

The Principal Secretary (Finance)
Govt. of NCT of Delhi, 'A' Wing, 4th Level,
Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi
Phone No. 23392130, 23392131

The application should be delivered in the department on or before 10-09-2024.


(Ravinder Kumar)
DEPUTY SECRETARY-I (FINANCE)

Ravinder Kumar
Dy. Secretary (Finance)
Room No. A-413, Govt. of NCT of Delhi
4th Level, A-Wing, Delhi Secretariat,
New Delhi-110002

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्त (व्यय-I) विभाग

चौथा तल, 'ए' ब्लॉक, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली-110002

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधिकरण में सदस्य (न्यायिक) की नियुक्ति।

1) आवेदन: दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधिकरण में सदस्य (न्यायिक) के एक पद को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2) योग्यताएं:

उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसने कम से कम दस वर्षों के लिए दीवानी न्यायिक पद धारण किया हो या जो कम से कम तीन वर्षों तक भारतीय विधिक सेवा (ग्रेड- III से नीचे नहीं) का सदस्य रहा हो या जो कम से कम दस वर्ष के लिये अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस में रहा हो।

वह व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह विज्ञापन में निर्दिष्ट आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि के अनुसार चालीस वर्ष से कम आयु का है।

3) वेतनमान: अपीलीय न्यायाधिकरण मूल्य संवर्धित कर के न्यायिक सदस्य का पद, पीबी -4, 37,400-67000+10000/- रुपये (ग्रेड वेतन) (छठा केन्द्रीय वेतन आयोग), वेतन मैट्रिक्स (सातवां केन्द्रीय वेतन आयोग) में स्तर-14, 1,44,200-2,18,200/- रुपये की वेतन संरचना में और भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित भारत सरकार के संयुक्त सचिव के लिए लागू नियमों के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि, पीबी 4, 37,400-67000+10000 67000+10000/- रुपये (ग्रेड वेतन) (छठा केन्द्रीय वेतन आयोग), वेतन मैट्रिक्स (सातवां केन्द्रीय वेतन आयोग) में स्तर-14, 1,44,200-2,18,200/- रुपये की वेतन संरचना में वेतन आहरण केंद्र सरकार के समूह 'ए' अधिकारी के लिए ग्राह्य दरों पर प्रत्येक सदस्य को अपने वेतन के लिए उपयुक्त भत्ते प्राप्त होंगे।

4) अयोग्यता: कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से: विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि उपराज्यपाल यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5) अन्य निबंधन एवं सेवा शर्तें: न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति का कार्यकाल उसके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा। उपबंध है कि कोई भी व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में पद पर नहीं रहेगा।

अन्य सेवा नियमों और शर्तों को अधिसूचना संख्या 3 (32)/वित्त (टी एंड ई)/2008-09/सं०सचि० वित्त / 110 दिनांक 04.03.2009 द्वारा विनियमित किया जाएगा। अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट पता- Finance.delhigovt.nic.in पर देखा जा सकता है।

6) प्रत्येक व्यक्ति जो न्यायिक सेवा का सदस्य है या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन सेवा में है और जो अपेक्षित योग्यताएं पूरी करते हैं, वे प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। वेतन और भत्ते, पेंशन, छुट्टी और अन्य लाभों आदि सहित प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के नियम और शर्तें सरकार द्वारा तय की जाएंगी।

(7) सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्ति को सतर्कता क्लीयरेंस रिपोर्ट और पिछले पांच वर्षों की एपीएआर की ग्रेडिंग सहित उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए।

आवेदन में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

(क) आवेदक का नाम

(ख) पिता का नाम

(ग) आयु (जन्म तिथि)

(घ) स्थायी पता

(ङ) डाक का पता

(च) शैक्षिक योग्यता

(छ) टेलीफोन नंबर और ई-मेल पता

(ज) प्रशिक्षण, यदि कोई हो (झ) कार्य अनुभव का विवरण (1) विभाग जिसमें कार्य कर रहे हैं (2) धारित पद (3) अवधि

(4) वेतनमान (5) कार्य का स्वरूप।

(ञ) कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी।

आवेदन के साथ दो सत्यापित फोटोग्राफ और सत्यापित / स्वयं सत्यापित सहयोगी दस्तावेज भी भेजें ।

आवेदन निम्न पते पर भेजें:

प्रधान सचिव (वित्त)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार दिल्ली

'ए' विंग, चौथा स्तर, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली

दूरभाष संख्या: 23392130, 23392131

आवेदन को 10-09-2024 पर या उससे पहले विभाग में दिया जाना चाहिए।



(रविन्द्र कुमार)

उप सचिव (व्यय- I)

Ravinder Kumar

Dy. Secretary (Finance)

Room No. A-413, Govt. of NCT of Delhi

4th Level, A-Wing, Delhi Secretariat,

New Delhi-110002